289

संख्या /ग्रा0वि0अनु0/56(60)/2003/2004

प्रेषक,

नम्रता कुमार
अपर सचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उत्तरांचल पौड़ी ।

ग्राम्य विकास अनुभागः देहरादूनः दिनांक 1 अप्रैल, 2004

विषयः- लेखानुदान 2004-05 की धनराशि निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या 240(1)/वित्त अनुभाग-1/2004 दिनांक 27-3-2004 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004-05 के लेखानुदान में 1-4-2004 से 31-7-2004 तक के लिए क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के कार्यालयों के अधिष्ठान व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि में से अधिष्ठान की वचनबद्ध मदों में निम्न विवरणानुसार रूपये 56,75,000.00 (रूपये छप्पन लाख पिच्यहत्तर हजार मात्र) की धनराशि श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र.सं.	मानक मद	धनराशि (हजार रूपये में)
1	01-वेतन	3000
2	03-मंहगाई भत्ता	1980
3	04-यात्रा व्यय	100
4	05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	33
5	06-अन्य भत्ते	330
6	08-कार्यालय व्यय	67
7	09-विद्युतदेय	67
8	10-जलकर/जल प्रभार	09
9	13-टेलीफोन पर व्यय	22
10	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पैट्रोल आदि की खरीद	67
	योगः-	5675

(रूपये छप्पन लाख पिच्यहत्तर हजार मात्र)

2. उक्त धनराशि का किसी भी दशा में व्यवर्तन नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिष्ठान हेतु आवश्यकतानुसार फ्रान्ट अपने स्तर से किया जाय ।

3. उक्त आवंटित धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की सारिणी बनाकर ही किया जाय ।

4. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी/जारी होने वाले मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों को ध्यान में रखकर किया जाय तथा व्यय आवंटित धनराशि की सीमा तक ही रखा जाय ।

5. निर्माण कार्य एवं सामग्री क्रय हेतु धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों के अन्तर्गत

आगणन इत्यादि पर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक/प्राविधिक स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमों के अन्तर्गत ही किया जाय ।

6. उक्त आवंटित धनराशि के व्यय की संकलित सूचना प्रपत्र-बी.एम.-13 पर प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक शासन को उपलब्ध करा दी जाय ।

7. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के लेखानुदान के अनुदान संख्या-19 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-03-कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थान) की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जावेगा ।

8. यह आदेश वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 240(1)/वि0अनु0-1/2004 दिनांक 27मार्च, 2004 के द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है ।

भवदीया

(नम्रता कुमार)
अपर सचिव ।

संख्या 289 /ग्रा.वि.अनु./56(60)/03/04 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार,उत्तरांचल देहरादून ।
2. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल ।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरांचल ।
6. सम्बन्धित आचार्य, क्षेत्रीय /जिला ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तरांचल ।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें उत्तरांचल, 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून ।
8. वित्त अनुभाग-2 उत्तरांचल शासन ।
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से
(नम्रता कुमार)
अपर सचिव ।